छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग (छ.ग.)
मुख्य निर्वाचन आयोग के बाजू शास्त्री चौक रायपुर
टोल फ्री नं. 18002334299, दूरभाष नं. 0771–2433488, 2429977, 4013189
– 9098382225, 0771–4241406 (फै.)
Website: www.cgmahilaayog.com , Email: cgmahilaayog@gmail.com

अतः स्पष्ट है कि ESIC अस्पताल के डॉ. बेहरा व अन्य सभी लोग कंसल्टेंट कंपनी सहित चार लोग और यूको बैंक के ब्रांच मैनेजर जो पिछले तीन वर्षों से डी.डी. नगर में पदस्थ थे। सभी संयुक्त रूप से षड्यंत्र कर 12 नर्सों के वेतन में विगत 3 वर्षों से लगभग 70–80 लाख का घोटाला कर चुके है। अतः इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर आयोग को सूचित करें।

Kiran Nayak
19.02.2026

अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग
रायपुर, छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग (छ.ग.)
मुख्य निर्वाचन आयोग के बाजू शास्त्री चौक रायपुर
टोल फ्री नं. 18002334299, दूरभाष नं. 0771-2433488, 2429977, 4013189
— 9098382225, 0771-4241406 (फै.)
Website: www.cgmahilaayog.com , Email: cgmahilaayog@gmail.com

प्र.क्र. F.N. /रायपुर/रामआ /2026/239 रायपुर, दिनांकः 19/02/2026

प्रति,

मुख्य सतर्कता अधिकारी,
हेड ऑफिस, यूको बैंक
10, बी.टी.एम. सरानी, कोलकाता
– 700001, पश्चिम बंगाल, इंडिया।

विषयः– वर्तमान एवं पूर्व ब्रांच मैनेजर द्वारा किया गया घोटाला एवं भ्रष्टाचार के संबंध में।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल रायपुर में 12 नर्सों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियुक्त किया गया था। प्लेसमेंट एजेंसी का नाम मेसर्स अनुग्रह प्रो. विजार्ड बिजनेस सोल्यूशन ग्राउंड कंपनी रायपुर के द्वारा 12 नर्सों का प्लेसमेंट किया गया था, जिनका वेतन 55 हजार, 50 हजार, 45 हजार व 40 हजार है। यूको बैंक डीडी नगर ब्रांच, रायपुर छत्तीसगढ़ के वर्तमान ब्रांच मैनेजन नवनीत कुमार हजारे है जो मई 2025 से पदस्थ है, इनके पूर्व रितेश कुमार सीनियर मैनेजर थे। इन सभी ब्रांच मैनेजरों की मिलीभगत कंसल्टेंट कंपनी 1.अनुग्रह पो. विजार्ड बिजनेस सॉल्यूशन ग्राउंड कंपनी, 2.राजशेखर पांडे ठेकेदार(कंपनी मालिक), मो.नं. 9630707732, 3.सनी गुप्ता मैनेजर, मो.नं. 798950165, 4.शैलेन्द्र सोनकर सुपरवाईजर, मो. 7974753808, थाना– टाटीबंध रायपुर (छ.ग.), ईएसआईसी अस्पताल रावांभाटा रायपुर, से है। यह सभी कंसल्टेंट ब्रांच मैनेजर के कक्ष में बैठकर इन सभी नर्सों के एकाउंट मे पैसा डालते और एक मिनट के अंदर एटीएम से पैसा निकाल लेते थे।

आयोग की कड़ी कार्यवाही के बाद जनवरी 2026 की मासिक तनख्वा 12 नर्सों को पूरी मिली है, क्योकि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के निर्देश पर सभी 12 नर्सों को उनका पासबुक, एटीएम नये सिरे से दिया गया था। लेकिन पुराना पैसा देने से बचने के लिये कंसल्टेंट बदलने का नाटक किया गया, लेकिन चेहरे वही है और ये सिलसिला विगत् 02 वर्षों से चल रहा है। प्लेसमेंट एजेंसी ने सभी 12 नर्सों का एटीएम, चेकबुक, पासबुक को डरा– धमकाकर रख लिया गया है। इस पूरे घोटाले में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल रायपुर के डायरेक्टर एवं चिकित्सा अधीक्षक राधाकांत बेहरा एकाउंट सेक्शन और यूको बैंक के ब्रांच मैनेजर भी शामिल है। जब राज्य महिला आयोग में सुनवाई की गई तब पुलिस के माध्यम से यूको बैंक के ब्रांच मैनेजर एवं डॉ. राधाकांत बेहरा चिकित्सा अधीक्षक कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल को बुलाया गया तब, इन्होनें गोलमोल जवाब दिया और यह स्वीकार किया कि हमारे अस्पताल के कई लोगो की मिली–भगत प्लेसमेंट एजेंसी व ब्रांच मैनेजर के साथ है। जिससे 70–80 लाख रू. का घोटाला किया गया। ये सभी नर्से छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है और बहुत गरीब परिवार से आती है।

यूको बैंक
सम्मान आपके बिस्वास का

UCO BANK
Honours Your Trust

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Date:16/02/2026

आयोग/कार्या. सचिव/छ.ग.म.आ./क्र......
दिनांक 18/02/2026

Ref:UCO/DD NAGAR/MISC/2025-26/86

प्रति,
माननीय अध्यक्ष महोदया,
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- अनुग्रह पो. विजाई बिजनेस सॉल्यूशन ग्राउंड कंपनी के संबंध में – आयोग के पत्र के प्रत्युत्तर में।
संदर्भ :- आयोग पत्र क्रमांक F.N./रायपुर/रामाआ/2026/185, दिनांक 12/02/2026

महोदया,

सविनय निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत आयोग द्वारा जारी पत्र के अनुपालन में निम्न तथ्य आयोग के संज्ञान में प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

बैंक अभिलेखों के अनुसार स्थिति

आयोग द्वारा जिस कंपनी में तीन व्यक्तियों को साझेदार (Partner) के रूप में समझा जा रहा है, बैंक के उपलब्ध अभिलेखों एवं केवाईसी दस्तावेजों के अनुसार उक्त फर्म में केवल एक ही प्रोप्राइटर (Proprietor) दर्ज है, जिनका विवरण निम्नानुसार है—
Mr. Rajshekhar Pandey
(Proprietor – as per Bank Records)
बैंक अभिलेखों में अन्य किसी व्यक्ति को साझेदार/हिस्सेदार के रूप में दर्ज नहीं पाया गया है।

तथापि, आयोग द्वारा निर्देशित निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के उद्देश्य से, संबंधित तीनों व्यक्तियों के उपलब्ध पते निम्नानुसार प्रस्तुत किए जा रहे हैं—

(1) Mr. Rajshekhar Pandey
S/o Arun Kumar Pandey
Sharma Para, Achhoti,
Durg – 490036

(2) Mr. Shailendra Sonkar
S/o Sewak Ram Sonkar
Khadaneshwar Mahadev Mandir,
Raipur – 492001

(3) Mr. Sunny Gupta
304, Shanti Enclave, Ward No. 68,
Behind Sai Mandir, Ganesh Nagar,
Raipur – 492013

यूको बैंक, डी.डी. नगर, रायपुर — UCO BANK, D.D. NAGAR — 3508